



Neutral Citation No.-2026:AHC:58176

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 1688 वर्ष 2026

बबिता भारती उर्फ शीला

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : राय साहब यादव, सुरेश कुमार यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., पुनीता सिंह

न्यायालय संख्या-64

माननीय विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति

1. कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 18.2.2026 के अनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन की सूचना विपक्षी संख्या 4/सूचनाकर्ता पर व्यक्तिगत रूप से तामील कर दी गई है। हालांकि, विपक्षी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री एन.के. शर्मा को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, केस क्राइम नंबर 732 वर्ष 2025, धारा 70(2), 137(2) बी.एन.एस. और 5जी/6 पॉक्सो एक्ट, थाना- रामगढ़ताल, जिला- गोरखपुर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं थी और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत पीड़िता के बयान में भी आवेदक का नाम नहीं था। पहली बार, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दिए गए बयान में पीड़िता द्वारा आवेदक के

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नाम का खुलासा किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उक्त बयान बाद में सोच-समझकर दिया गया है। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों में विसंगतियां इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाती हैं। सूचनाकर्ता ने अपने दूसरे बयान में यह भी कहा है कि उसके और आवेदक के बीच पहले से शत्रुता मौजूद है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का मामला नामजद अभियुक्तों के मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न है। आवेदक एक महिला है और 26.11.2025 से जेल में है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेख के आधार पर उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक ढंग से खंडन नहीं कर सके।
6. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं थी। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत पीड़िता के बयान में भी आवेदक का नाम नहीं था। पहली बार, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत पीड़िता द्वारा आवेदक के नाम का खुलासा किया गया था। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों में विसंगतियां इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाती हैं। सूचनाकर्ता ने अपने दूसरे बयान में यह भी कहा है कि उसके और आवेदक के बीच पहले से शत्रुता मौजूद है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक एक महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में तीन महीने से अधिक समय से जेल में है और मुकदमे के शीघ्र संपन्न होने की कोई आशा नहीं है, विशेष रूप से जब राज्य द्वारा ऐसी कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा होती है, तो वह या तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगी या गवाह को डराएगी; मामले के

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की हकदार है।

7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक **बबिता भारती उर्फ शीला** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:
- i. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी;
 - ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगी;
 - iii. आवेदक विचरण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगी।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

20 मार्च, 2026

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।